

रेफ: जीजेसी/आरओएस/सदपजी/नवीनीकरण/2015-2016/1028

28 मार्च 2016

सेवा में,

गुजरात स्थित सभी एसोसिएट सदस्य/साधारण सदस्य,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के सदस्यता के नवीनीकरण के लिए।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 हेतु सदस्यता का नवीनीकरण दिनांक 30 अप्रैल, 2016 अथवा उससे पूर्व किया जाना अपेक्षित है।

गत वर्ष की भांति परिषद की वेबसाइट www.gjepc.org के माध्यम से सदस्यों द्वारा वर्ष 2016-17 की सदस्यता नवीनीकरण के आवेदन को ऑन लाइन भरना अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 का सदस्यता शुल्क वित्त वर्ष 2015-16 के निर्यात के आधार पर देय है। 1 अप्रैल 2016 से लागू शुल्क तथा सदस्यों हेतु दिशा निर्देश क्रमशः **परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2** में इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया गत वर्ष की तरह ही है, देय शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट बैंक में किया जा सकता है। जो कि परिषद के वेबसाइट के माध्यम से आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। परिषद वर्तमान के सदस्य www.gjepc.org पर जाकर अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा सदस्यता पृष्ठ में लॉग इन कर सकते हैं।

देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही सदस्यता जारी की जायेगी तथा सदस्यता जारी रखने हेतु चालान पर उल्लेखित तारीख के स्थान पर परिषद के खाते में देय राशि जमा होने की तारीख को ही भुगतान की तिथि माना जायेगा।

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय: 401 - A, इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर, कडीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड, सुरत - 395002 - (भारत)

Regional Office : 401 - A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring Road, Surat - 395002 (India)

दूरभाष : 91-261-2209000 फैक्स : 91 - 261 - 2209040 ई-मेल : surat@gjepcindia.com CIN : U99100MH1966GAP013486

प्रधान कार्यालय: टॉवर-ए, एडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 - (भारत)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फैक्स / Fax: 91-22-2652 47 64. ई-मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट / Website: www.gjepc.org

सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि माह जनवरी 2015 से सदस्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रिन्ट करने की सुविधा लागू कर दी गई है। एक बार सदस्यता जारी होने हाने के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित सदस्यता प्रमाण पत्र परिषद की वेबसाईट www.gjepc.org पर उपलब्ध होगा एवं इस वेबसाईट पर लॉग इन करके सदस्यता प्रमाण पत्र का प्रिन्ट लिया जा सकता है।

सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनी इत्यादि के साथ केपी शुल्क में रियायत का अविराम लाभ लेने हेतु अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2016 अथवा उससे पूर्व अवश्य करवा लें।

भुगतान चालान में पिछले वर्ष किए गए निर्यात घोषणा का मदवार डेटा अंकित करने का प्रावधान किया गया है।

किसी भी जानकारी या संसय के समाधान के लिए आप सदस्यता विभाग के फोन नं. 0261-2209000 / 2209017 या ccjacob@gjepcindia.com पर ई-मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद,

वास्ते रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

अनुरा शेट

जिल्पा ए शेट

सहायक निदेशक

संलग्न: परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय: 401 - A, इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर, कडीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड, सुरत - 395002 - (भारत)

Regional Office: 401 - A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring Road, Surat - 395002 (India)

दूरभाष : 91-261-2209000 फैक्स : 91 - 261 - 2209040 ई-मेल : surat@gjepcindia.com CIN : U99100MH1966GAP013486

प्रधान कार्यालय: टॉवर-ए, एडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 - (भारत)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फैक्स / Fax: 91-22-2652 47 64. ई-मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाईट / Website: www.gjepc.org

परिशिष्ट-1

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क

1-सदस्यता शुल्क :- वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वतःघोषणा के साथ वर्ष 2015-16 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

2. सेवा कर: जो भी लागू हो।

3. वर्ष 2016-17 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपको द्वारा निम्नलिखित राशि देय है:

| वर्ष 2015 -16 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन | वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क रु. |
|---|--|
| 25 लाख रु. तक निर्यात | 6000/- |
| 25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड रु. तक निर्यात | 10,000/- |
| 1 करोड रु. से अधिक और 5 करोड रु. तक निर्यात | 15,000/- |
| 5 करोड रु. से अधिक और 15 करोड रु. तक निर्यात | 30,000/- |
| 15 करोड रु. से अधिक और 50 करोड रु. तक निर्यात | 40,000/- |
| 50 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात | 65,000/- |
| 100 करोड रु. से अधिक और 500 करोड रु. तक निर्यात | 1,00,000/- |
| 500 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात | 1,50,000/- |
| 1000 करोड रु. से अधिक निर्यात | 2,00,000/- |

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/ वर्तमान सदस्य द्वारा अन्तिम तिथि के पश्चात विलंब से नवीनीकरण शुल्क रु.5000 + सेवा अतिरिक्त कर देय होगा।

4-बकाया भुगतान :- यह भी नोट करें कि वर्ष 2016 -17 के सदस्यता का नवीनीकरण करते समय गत वर्ष में परिषद के सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया को गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

5-कंपनी समूह :- सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। किसी भी शंका के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि

परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

6-नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :- सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्म को परिषद संस्था के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा ।

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन.
- सॉलिटैयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौड़ों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ.

सामान्य नियम एवं विनियम

1- सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परिच्छेद 1 और सदस्यता के नियम।

3. सदस्यों की श्रेणियों, और सदस्यता के लिए पात्रता-

3.1 सदस्य-

सदस्यों की संख्या जिसे परिषद प्रस्तावित करती है, 10000 है, परंतु हो सकता है, समय-समय पर प्रशासन की समिति परिषद की गतिविधियों के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार प्रस्तावित संख्या को बढ़ा सकते हैं । इस तरह के व्यक्ति जो परिषद की सदस्यता स्वीकार करते हैं परिषद के सदस्य कहलाये जायेंगे ।

3-2 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ.

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

- (क) एसोसिएट सदस्य :
- (ख) साधारण सदस्य :

3.3- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

